

कार्य और उत्तरदायित्व

भारत में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा उद्योग

के बीच

कार्य और उत्तरदायित्वों का विभाजन

| प्रशिक्षण योजना | भारत सरकार | राज्य सरकार | उद्योग |
|-------------------------|---|---|--|
| शिल्पकार प्रशिक्षण | एनसीवीटी के साथ परामर्श से नीति तथा प्रक्रियाएं मानक, अवधि आदि । एनसीवीटी की ओर से अंतिम व्यवसाय परीक्षा का आयोजन। | संस्थान का दैनिक प्रशासन | केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय , राज्य और संस्थानिक स्तर पर सलाह देना। अंतिम ट्रेड परीक्षा में सहायता करना। |
| शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण | एनसीवीटी के साथ परामर्श से नीति तथा प्रक्रियाएं मानक, अवधि आदि । सीटीआई/एटीआई'ज में कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा प्रशासन। एनसीवीटी की ओर से अंतिम ट्रेड परीक्षा संचालन। | सीटीआई/एटीआई'ज में प्रशिक्षण हेतु आईटीआई अनुदेशकों को प्रतिनियुक्त करना। | केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय , तथा संस्थानिक स्तर पर सलाह देना। अंतिम ट्रेड परीक्षा में सहायता करना। |
| शिक्षुता प्रशिक्षण | केंद्रीय शिक्षुता परिषद के परामर्श से नीति, प्रक्रिया, उद्योगों की अधिसूचना, ट्रेड्स के नामोद्देशन, पाठ्यक्रम, मानक आदि । केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में कार्यक्रमों में सहायता, समन्वयन तथा विनियमन। | राज्य के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र उद्योगों में कार्यक्रमों हेतु सहायता समन्वयन तथा विनियमन। संबद्ध अनुदेशन प्रदान करना। निजी क्षेत्र के उन उद्योगों, के मामले में | शिक्षुता अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन । बुनियादी प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना (नियोक्ताओं द्वारा, जहां 500 से अधिक कामगार नियुक्त हैं)। |

| | | |
|--|---|---|
| <p>निजी क्षेत्र के उद्योगों में कार्यक्रमों हेतु सहायता , समन्वयन तथा विनियमन के लिए राज्यों के साथ समवर्ती अधिकार।</p> <p>एनसीवीटी की ओर से अंतिम ट्रेड परीक्षा संचालन।</p> | <p>जहां 500 से कम नियोजन हैं, में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना।</p> | <p>राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना।</p> |
|--|---|---|